



# श मकीकी मी णिनी

## 12 सिद्धांत

जनवरी 2016

## परिचय

टीएफटी सम्मान सिद्धांतों का उद्देश्य सभी आपूर्ति श्रृंखलाओं में समुदायों के अधिकारों, स्वदेशी लोगों और श्रमिकों का सम्मान करना है।

टीएफटी का श्रमिकों के लिए सम्मान - 12 सिद्धांत विशेषरूप से श्रमिकों के अधिकारों एवम कार्यस्थल में स्वस्थ और सुरक्षा के लिए है। सम्मान दिशा निर्देशों की श्रंखला, विस्तार से बताती है कि उत्पाद के हिसाब से कार्यस्थल पे क्या अपेक्षाकृत है

सर्दिं तः

- इस कंपनी, इसके आपूर्तिकर्ताओं और उप -ठेकेदारों पर लागू होते हैं
- ठेकेदारों, अस्थाई, उप -ठेकेदारों और प्रवासी श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों पर लागू होते हैं
- सभी साइटों पर लागू होते हैं, यद्यपि लघु-धरक कारखानों पर इनका लागू होना भिन्न होगा (आगामी शोषण नहीं टूलकिट बताएगी कि साइट के आकार के आधार पर कार्यान्वयन को कैसे अपनाया जा सकता है)
- कई देशों में लागू स्थानीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं।

ये सिद्धांत मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणापत्र को मान्यता और सम्मान देते हैं।



## दिशानिर्देश

### 1. बाल श्रम का उपयोग नहीं किया जाता

बाल श्रम का उपयोग या बढ़ावा नहीं दिया जाता और ऐसे श्रम का उपयोग रोकने के उचित उपाय किए जाते हैं।

### 2. कोई बेगार या बंधुआ श्रमिक नहीं है

बेगार श्रमिक, बंधुआ श्रमिक और मानव तस्करी का प्रयोग प्रोत्साहित नहीं किया जाता और ऐसे श्रमिकों का उपयोग रोकने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है। ऐसे श्रमिक अथवा तस्करी पाए जाने पर सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ितों को मौजूदा सपोर्ट और सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

### 3. भर्ती की नैतिक प्रथाओं का प्रयोग किया जाता है

भर्ती प्रथाएं पारदर्शी और निष्पक्ष होती हैं, और सीधी भर्ती को प्रोत्साहित किया जाता है।

### 4. श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का बचाव किया जाता है

श्रमिक का ऐसे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों की संभावनाओं से बचाव किया जाता है जिनसे स्थायी चोट, बीमारी या मौत का खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो।

### 5. सभी श्रमिकों को रोजगार अनुबंध दिए जाते हैं

सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कार्य स्थितियों, उनके द्वारा किए जाने वाले न्यूनतम कार्यों सहित, किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, वेतन की दर और वेतन व्यवस्थाएं, कार्य के घंटे, छुट्टियां एवं अन्य अवकाश तथा नौकरी के अन्य लाभों के बारे में उस भाषा, जिसे वे जानते हैं, में लिखित रूप में दिया गया है।

### 6. न्यूनतम मजदूरी की कानूनी आवश्यकताओं या राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा किया जाता है

सभी श्रमिकों को कानूनी न्यूनतम मजदूरी से अधिक या उसके बराबर भुगतान किया जा रहा है।

### 7. कार्य के घंटे कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अत्यधिक नहीं हैं

सभी श्रमिक (पीस रेट पर मजदूरी करने वाले श्रमिकों सहित) राष्ट्रीय कानूनी अधिकतम घंटे से अधिक काम नहीं करते हैं; ओवरटाइम घंटों के लिए स्वैच्छिक आधार पर काम किया जाता है, और श्रमिकों को सात में कम से कम एक दिन के लिए अवकाश मिलता है।



**8. कंपनी अपने कर्मचारियों में विविधता का सम्मान करती है**

श्रमिकों की ऐसे किसी भेदभाव से रक्षा की जाती है जिनसे उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता हो, कार्यपद्धतियां स्थापित की जाती हैं जो किसी गैरकानूनी या अनैतिक भेदभाव के खिलाफ होतीं और प्रवासी श्रमिकों को समान कार्य करने वाले अन्य श्रमिकों से कम अनुकूल नहीं समझा जाता।

**9. उत्पीड़न और शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाता**

ऐसी नीतियां हैं तथा यौन शोषण और उत्पीड़न सहित उत्पीड़न और शोषण रोकने और उपाय क्रियान्वित किये जाते हैं।

**10. कष्ट निवारण की नीति स्पष्ट और उस तक आसानी से पहुँच है**

सभी स्तरों पर श्रमिकों के पास, प्रत्यारोप या बर्खास्तगी के डर के बिना न्यायिक उपाय की पहुँच और विश्वसनीय शिकायत तंत्र उपलब्ध है।

**11. आवास सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है**

जहां आवास प्रदान दिया जाता है, वह सुरक्षित, स्वस्थकर और परिस्थितियां स्वीकार्य होती हैं।

**12. एसोसिएशन की आजादी और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान किया जाता है**

सभी श्रमिकों, चाहे वे किसी रैंक या जॉब ग्रेड के हों, अपनी पसंदीदा ट्रेड यूनियन बनाने और उसे जवाइन करने तथा सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार है। जहां एसोसिएशन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार कानून के तहत प्रतिबंधित हैं, वहां सभी श्रमिकों को स्वतंत्र और मुक्त एसोसिएशन तथा सौदेबाजी के समानांतर साधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

